न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 55/2021 (Bank Case)

GCMS No. 2021/86

ओमकारा एसेट्स रिकन्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः– 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्स्टेशन, तिरूपुर, तमिलनाडू–641607 एवं कॉरपोरेट ऑफिस– सी/515, कनाकिया जिल्लौन, जक्शन ऑफ एलबीएस रोड एवं सीएसटी रोड, बीकेसी एनेक्स, नियर इक्यूनोक्स, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई–400070 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अकुंर रस्तोगी ।

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. कालू लाल पुत्र श्री बाबु लाल, निवासी– बीढ़ के बालाजी के पास, दो खम्भों के पास, बालीता रोड़, कुन्हाडी, कोटा (राज.) 324008 **(ऋणी)**
   अन्य पता– रे 073/2198, बापू नगर, कच्ची बस्ती, जिला कोटा 324008
2. श्रीमती नटी बाई पत्नी श्री कालू लाल (सहऋणी)
   पता– निवासी– बीढ़ के बालाजी के पास, दो खम्भों के पास, बालीता रोड़, कुन्हाडी, कोटा (राज.) 324008

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17.08.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " ओमकारा एसेट्स रिकन्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालयः– 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्स्टेशन, तिरूपुर, तमिलनाडू–641607 एवं कॉरपोरेट ऑफिस– सी/515, कनाकिया जिल्लौन, जक्शन ऑफ एलबीएस रोड एवं सीएसटी रोड़, बीकेसी एनेक्स, नियर इक्यूनोक्स, कुर्ला (वेस्ट) मुम्बई से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण खाता संख्या LNHLKOT000003259 में दिनांक 28.02.2018 को ऋण 8,56,228 व ऋण खाता संख्या LNHEKOT000003348 में दिनांक 28.02.2018 को 3,81,649/– रूपये कुल 1237877/–(अक्षरे बारह लाख सेतीस हजार आठ सौ सत्तर रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसकें मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय श्रीमती नटी बाई पत्नी श्री कालु लाल , रे 073/2198, बापू नगर, कच्ची बस्ती, कोटा, (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 84 वर्ग गज हैं। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– धनराज का मकान, दक्षिण में– टेलर का मकान, पूर्व में– रोड़, पश्चिम में– बंटी का मकान स्थित है, जो कार्यालय नगर निगम द्वारा जारी नियमन–आवंटन/अधिकार पत्र कंमाक 855 दिनांक 12.08.2013 से कालूलाल पुत्र बाबूलाल के नाम जारीशुदा है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 10.10.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 14,88,872/– (अक्षरे रूपये चौदह लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ बहतर मात्र) बकाया रकम दिनांक 13.07.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टैण्डर्ड " में दिनांक 03.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 21.07.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टैण्डर्ड " में दिनांक 03.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 21.07.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में कंचन केसरी व अंग्रेजी में "बिजनेस स्टैण्डर्ड " में दिनांक 03.08.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की **अचल सम्पत्ति आवासीय श्रीमती नटी बाई पत्नी श्री कालु लाल , रे 073/2198, बापू नगर, कच्ची बस्ती, कोटा, (राज.) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 84 वर्ग गज हैं। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– धनराज का मकान, दक्षिण में– टेलर का मकान, पूर्व में– रोड़, पश्चिम में– बंटी का मकान स्थित है, जो कार्यालय नगर निगम द्वारा जारी नियमन–आवंटन/अधिकार पत्र क्रमांक 855 दिनांक 12.08.2013 से कालूलाल पुत्र बाबूलाल के नाम जारीशुदा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17 .08.2021 को सुनाया गया ।

17/8/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)